रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

(35)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 112] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 1973/चैत्र 7, 1895

No. 112] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 1973/CHAITRA 7, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

11. No meat food product shall contain any poisonous element specified in column (2) of the Table below, in excess of the quantity specified in the corresponding entry in column (3) thereof:—

THE TABLE

Sl. No.	Name of the poisonous metal	Parts per million by weight
1	2	3
1.	Lead	2·5
2.	Copper	20
3.	Arsonic	2·0
4.	Tin	250
5.	Zinc	50

[F. No. 18-38/63-LDT.]

V. K. MALIK,
Director (Animal Husbandry).

कृषि मंत्रालय
(कृषि विभाग)

मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973

नई दिल्ली, 28 मार्च 1973

एस० ओ० 176(अ)—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इस आदेश का नाम मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 होगा ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

2. परिभाषाएं :—इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "पशु" से ऐसा पशु अभिप्रेत है जो नीचे विनिर्दिष्ट किसी जाति का हो :—

(i) भेड़ ;
(ii) बकरा ;
(iii) सूअर ;
(iv) गौ ;

और जिसके अन्तर्गत कुक्कुट भी है ।

(ख) "पशु-शव" से मृत शरीर या उसका कोई भाग अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत ऐसे पशु की अंतड़ी भी है जिसका वध किया गया है ;

(ग) "समिति" से खण्ड 3 के अधीन गठित की गई मांस खाद्य उत्पाद सलाहकार समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "कारखाना" से अपनी प्रसीमाओं सहित कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जिसमें मांस खाद्य उत्पादों को विक्रय के लिए विनिर्मित या पैक किया जाता है;

(ङ) "अनुज्ञप्तिधारी" से ऐसा विनिर्माता अभिप्रेत है जिसे इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है ;

(च) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से भारत सरकार का कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(छ) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगरपालिका परिषद्, समिति, निगम, पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति या अन्य ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे किसी स्थानीय क्षेत्र में बधशाला के विनियमन और अनुज्ञापन, न्यस्त किया गया है ;

(ज) "विनिर्माता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो विक्रय के लिए मांस खाद्य उत्पादों के विनिर्माण या पैक करने के कारबार में लगा हुआ है, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ऐसे उत्पादों का विक्रय किसी रैस्तरां, होटल, बार्डिंग हाउस या होस्टल में करता है ;

(झ) "मांस" से पशुवध के गोश्त और उसके अन्य खाने योग्य भाग अभिप्रेत है ;

(ञ) "मांस खाद्य उत्पाद" से भोजन की कोई वस्तु या कोई ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भोजन के रूप में प्रयोग के लिए आशयित है या उसके योग्य है जो मांस को सूखाकर, संसाधित करके, घूमायन करके, पकाकर, नमक-मिर्च, मसाला लगा कर या उपरोक्त किसी पद्धति के समान मांस के प्रसंस्करण की पद्धति का अनुसरण करके व्युत्पन्न या तैयार की गई है ;

(ट) "मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक" से अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया कोई शासकीय पशु चिकित्सक अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत इस आदेश के अधीन मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक के कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया स्थानीय प्राधिकारी का कोई अधिकारी भी है ।

(ठ) "अनुसूची" से इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ड) "बधशाला" से ऐसा भवन, परिसर या स्थान अभिप्रेत है, जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा मानव उपभोग के लिए आशयित पशुओं के वध के लिए बधशाला के रूप में अनुज्ञप्त किया गया है ;

(ढ) "वर्ष" से कोई कलैंडर वर्ष या उसका भाग अभिप्रेत है ।

3. समिति का गठन.—(1) यथासंभव शीघ्र, इस आदेश के प्रारम्भ के पश्चात् और उसके पश्चात् प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल पर, केन्द्रीय सरकार, ऐसे आदेश द्वारा जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया हो एक समिति गठित करेगी जो मांस खाद्य उत्पाद सलाहकार समिति के नाम से ज्ञात होगी, जिसका गठन भारत सरकार के कृषि विभाग के कृषि विपणन सलाहकार, जो उसका अध्यक्ष होगा, और निम्नलिखित सदस्यों से होगा, अर्थात् —

(क) पशुपालन आयुक्त, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती ;

(ख) स्वास्थ्य-सेवा-महानिदेशक, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती ;

(ग) तकनीकी-विकास-महानिदेशक, भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती ;

(घ) कार्यपालक निदेशक, खाद्य और पोषण बोर्ड, खाद्य विभाग भारत सरकार या उसका नामनिर्देशिती ;

(ङ) निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, मैसूर, या उसका नामनिर्देशिती ;

(च) राज्य सरकारों के पशुपालन विभाग या पशुचिकित्सा सेवाओं के दो अधिकारी जिन्हें केन्द्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी ;

(छ) पशुधन के स्वामियों में से दो व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी ;

(ज) विनिर्माताओं में से दो व्यक्ति, जिन्हें केन्द्रीय सरकार नामनिर्देशित करेगी ;

(झ) विपणन और निरीक्षण निदेशालय का कोई अधिकारी, जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी नामनिर्देशित करेगा, जो समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा।

(2) समिति का सदस्य उस अवधि तक पद धारण करेगा जब तक के लिए समिति गठित की गई है ;

किन्तु सदस्य, समिति के अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपने पद का त्याग कर सकेगा ।

(3) यदि समिति के किसी सदस्य के पद में रिक्ति मृत्यु या त्याग-पत्र के कारण होती है तो इस प्रकार हुई रिक्ति नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएगी और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया कोई व्यक्ति, केवल तब तक पद धारण करेगा, जब तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर वह नामनिर्देशित किया गया है, पद धारण करता ।

(4) समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति पांच होगी, किन्तु इसके अधीन, समिति अपनी सदस्यता में किसी रिक्ति के होते हुए भी, कार्य कर सकेगी ।

(5) समिति अपनी कार्यवाहियों का, ऐसी रीति में जिसे वह उचित समझे, विनियमन कर सकेगी, किन्तु किसी ऐसे विषय पर जिसमें समिति के मत बराबर बराबर हों, अध्यक्ष का, या समिति के अधिवेशन में सभापतित्व करने वाले व्यक्ति का, एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(6) समिति के ये कृत्य होंगे कि वह भारत सरकार के कृषि विभाग को जो पशुपालन में व्यवहार कर रहा है, मांस खाद्य उत्पाद उद्योग से सम्बन्धित किसी विषय में सहायता और सलाह दे ।

(7) यदि केन्द्रीय सरकार, लोक हित में ऐसा करना समीचीन समझती है, तो वह समिति को, आदेश द्वारा, किसी भी समय विघटित कर सकेगी और तब समिति विघटित रहेगी और समिति के लिए नामनिर्देशित किए गए सभी व्यक्ति आदेश की तारीख से उसके सदस्य न रह जायेंगे ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार, समिति के पुनर्गठन के लिए उपखण्ड (1) में उपबन्धित रीति में यथासंभव शीघ्र कार्यवाही कर सकेगी ।

4. अनुज्ञप्ति.—(1) कोई भी व्यक्ति, सिवाय इस आदेश के अधीन, उसे मंजूर की गई अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के अधीन और अनुसार, विनिर्माता के रूप में कारबार नहीं करेगा ।

(2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए प्रत्येक आवेदन प्रथम अनुसूची में, उपबंधित प्ररूप "क" में किया जाएगा और उसके साथ एक खजाना चालान उस फीस के संदाय के साक्ष्य के रूप में लगाया जाएगा जो उपखण्ड (3) में विनिर्दिष्ट की गई है ।

(3) इस आदेश के प्रयोजनों के लिए विनिर्माताओं के तीन प्रवर्ग होंगे जो नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं और विनिर्माताओं के प्रत्येक प्रवर्ग द्वारा संदेय अनुज्ञप्ति फीस वह होगी जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट की गई है ।

सारणी

विनिर्माता का प्रवर्ग	अनुज्ञप्ति फीस	
(1)	(2)	
	रु०	पैसे
प्रवर्ग 'क' :—ऐसा विनिर्माता, जो केवल ऐसे पशुओं के मांस से मांस खाद्य उत्पाद बनाता है, जिनका वध और सफाई उसके अपने कारखाने में की गई है ।	100	00
प्रवर्ग 'ख' :— ऐसा विनिर्माता, जो केवल ऐसे पशुओं के मांस से मांस खाद्य उत्पाद बनाता है, जिनका वध और सफाई अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित वधशाला में की जाती है और जिसका कारखाना, ऐसी वधशाला के अत्यन्त निकट स्थित है	75	00
प्रवर्ग 'ग' :—प्रवर्ग 'क' और 'ख' के विनिर्माताओं से भिन्न विनिर्माता ।	50	00

(4) अनुज्ञापन प्राधिकारी अनुज्ञप्ति मंजूर कर सकेगा, या उसे मंजूर करने से इंकार कर सकेगा ;

परन्तु जहां अनुज्ञप्ति नामंजूर कर दी गई है वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति आवेदक को देगा ।

(5) जहां कोई अनुज्ञप्ति किसी व्यक्ति को इस खण्ड के अधीन मंजूर नहीं की गई है वहां उसके द्वारा संदत्त फीस उसे वापस कर दी जाएगी ।

(6) कोई अनुज्ञप्ति, जब तक वह रद्द या निलम्बित न की जाए, उस वर्ष के अन्त तक विधिमान्य रहेगी जिसके दौरान वह जारी की गई है ।

5. अनुज्ञप्ति का नवीकरण.—(1) इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन उस अनुज्ञप्ति के अवसान से कम से कम साठ दिन पूर्व देना होगा ।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप "क" में दिया जाएगा और उसके साथ एक बजाना चालान उस फीस के संदाय के साक्ष्य के रूप में लगाया जाएगा जो खण्ड 4 के उपखण्ड (3) में विनिर्दिष्ट की गई है ।

(3) अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन का अनुज्ञप्ति के अवसान की तारीख से पूर्व निपटारा किया जाएगा और यदि उसका निपटारा उस तारीख से पूर्व नहीं किया गया है तो वह समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की और अवधि के लिए मंजूर कर दी गई है ।

6. अनुज्ञप्ति की शर्तें.—इस आदेश के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप 'ख' में दी जाएगी और वह ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन होगी जिन्हें अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिरोपित करे ।

7. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलम्बन.—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, निम्नलिखित आधारों में से किसी एक या अधिक आधार पर किसी अनुज्ञप्ति को रद्द या निलम्बित कर सकेगा, अर्थात् —

(क) कि उन शर्तों में से किसी का भंग हुआ है जिसके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है ;

(ख) कि अनुज्ञप्तिधारी ने इस आदेश के सभी उपबन्धों या उनमें से किसी का उल्लंघन किया है ;

(ग) कि अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के अधीन जारी किए गए किसी आदेश या निदेश का अनुपालन करने में असफल रहा है ।

(2) जहां कोई अनुज्ञप्ति उपखण्ड (1) के अधीन रद्द या निलम्बित की गई है वहां, अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे रद्दकरण या निलम्बन के कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा और उसकी एक प्रति उस अनुज्ञप्तिधारी को देगा जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द या निलम्बित की गई है ।

8. अपील.—खण्ड 4 के उपखण्ड (4) या खण्ड 7 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुज्ञप्ति के मंजूर करने से इंकार के कारणों के

कथन की प्रति की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के लिए अपील कर सकेगा ।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, अपील नामंजूर करने का आदेश पारित करने से पूर्व, उन व्यक्तियों को, जिनका उस आदेश से प्रभावित होना संभाव्य है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगी ।

9. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पूरी की जाने वाली अपेक्षाएं.—(1) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी, सिवाए इस आदेश के उपबंध के अधीन और उसके अनुसार, किसी मांस खाद्य उत्पाद का विनिर्माण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वच्छता संबंधी और अन्य अपेक्षाओं के अनुरूप मांस खाद्य उत्पादन का विनिर्माण करेगा ।

(3) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, जो मांस खाद्य उत्पादन का विनिर्माण करने के प्रयोजन के लिए पशुओं का वध करता है, तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वच्छता संबंधी और अन्य अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(4) प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, खाद्य उत्पादों के आधानों के पैक करने, चिह्नित करने और उस पर लेबल लगाने की बाबत, चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

(5) उपखण्ड (1), (2) और (3) में किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञापन प्राधिकारी, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली कोई अतिरिक्त अपेक्षा, राजपत्र में प्रकाशित किए गए आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा और प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह इस प्रकार विनिर्दिष्ट की गई अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करे ।

10. विवरणी.—प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, उस वर्ष के दौरान अपने द्वारा विनिर्मित, विक्रीत या निर्यातित मांस खाद्य उत्पाद के प्रत्येक वर्ग की बाबत एक विवरणी, अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास प्रथम अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप 'ग' में दो प्रतियों में, प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन को या उसके पूर्व, भेजेगा ।

11. व्यवहारी, आदि द्वारा विक्रय, आदि के बारे में प्रतिषेध.—ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो मांस खाद्य उत्पाद का व्यवहारी, अभिकर्ता, दलाल या विक्रेता है, भारत में विनिर्मित किसी मांस खाद्य उत्पाद का विक्रय, या उसे विक्रय के लिए अभिदर्शित या प्रेषित या परिदत्त तब तक नहीं करेगा जब तक कि ऐसे मांस खाद्य उत्पाद का विनिर्माण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नहीं किया जाता हो ।

12. निदेश जारी करने की शक्ति.—अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह इस आदेश के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए उचित समझता है ।

13. विनिर्माता, निदेशों या आदेश द्वारा आबद्ध होंगे.—प्रत्येक ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, जिसको इस आदेश के किसी उपबंध के अनुसरण में कोई निदेश या आदेश जारी किया गया है, ऐसे निदेशों या आदेश का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और ऐसे निदेश या आदेश के अनुपालन करने में विनिर्माता की ओर से कोई असफलता इस आदेश के उपबंधों का उल्लंघन समझी जाएगी ।

14. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियां.—(1) अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से:—

(क) किसी व्यक्ति से उसके द्वारा विनिर्मित किसी मांस खाद्य उत्पादन के विनिर्माण और व्ययन की बाबत कोई जानकारी जो उसके पास है देने के लिए अपेक्षा कर सकेगा;

(ख) अपने आपको इस बात से संतुष्ट करने की दृष्टि से कि इस आदेश की अपेक्षाओं का

अनुपालन किया गया है, किसी अनुज्ञप्तिधारी के परिसर में किसी भी समय प्रवेश कर सकेगा और उनका निरीक्षण कर सकेगा, और:—

(i) उचित रसीद देकर किसी ऐसे मांस खाद्य उत्पादन का अभिग्रहण कर सकेगा या उसे निरुद्ध कर सकेगा, जो इस आदेश के उपबंधों के उल्लंघन में विनिर्मित, चिह्नित, पैक किये गए हैं या उस पर लेबल लगाये गए हैं या उनके विनिर्मित चिह्नित, पैक किये जाने या उन पर लेबल लगाए जाने का संदेह है ;

(ii) उचित रसीद देकर, मांस खाद्य उत्पाद से संबंधित ऐसे कच्चे मालों, दस्तावेजों लेखा-बहियों, अन्य दस्तावेजों, साक्ष्य का अभिग्रहण कर सकेगा या उन्हें निरुद्ध कर सकेगा, जिनके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है; और

(iii) इस प्रकार अभिगृहीत या निरुद्ध सभी मांस खाद्य उत्पाद या कच्चे माल का उस प्रकार व्ययन कर सकेगा जैसा वह उचित समझता है;

(ग) अनुज्ञप्तिधारी की,मांस खाद्य उत्पाद के विनिर्माण और व्ययन से संबंधित किसी बही या अन्य दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा ;

(घ) ऐसे मांस खाद्य उत्पाद के नमूनों का संग्रह, उनका संदाय करके, कर सकेगा, जो बेच दिए गए हैं या विक्रय के लिए आशयित है या अभिदर्शित किए गए हैं या जो विक्रय के प्रयोजन के लिए किसी व्यवहारी, अभिकर्ता या दलाल को प्रेषित किए जा रहे है या परिदत्त किए गए हैं और ऐसे नमूनों का विश्लेषण अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए छांटी गई प्रयोगशाला में करा सकेगा;

(ङ) अनुज्ञप्तिधारी से, किसी ऐसे मांस खाद्य उत्पाद के नमूने या ऐसे मांस खाद्य उत्पाद के तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए किसी ऐसे रासायनिक द्रव्य, रंजक वस्तु या किसी अन्य घटकों का संग्रह, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है, अनुज्ञप्तिधारी के परिसर से, उचित रसीद देकर निःशुल्क कर सकेगा; या

(च) किसी लिखित आदेश द्वारा किसी ऐसे मांस खाद्य उत्पाद का विक्रय या विनिर्माण प्रतिषिद्ध कर सकेगी, जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन हुआ है ।

(2) कोई भी व्यक्ति इस आदेश के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देने से इंकार नहीं करेगा जिसे वह देने के लिए वैध रूप से आबद्ध है और जो उससे विधिपूर्वक मांगी जा सकेगी या वह इस आदेश के उपबंधों के अपवचन करने की दृष्टि से किसी बही या अन्यदस्तावेजों को रद्द नहीं करेगा, नष्ट नहीं करेगा, विकृत नहीं करेगा या विरूपित नहीं करेगा ।

15. अभियोजन के लिए मंजूरी.—इस आदेश के किसी उपबंध के उल्लंघन के लिए कोई भी अभियोजन, अनुज्ञापन प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा ।

प्रथम अनुसूची

'प्ररूप 'क'

[खंड 4 (2) और 5(2) देखिए]

मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के अधीन अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम और पता

2. प्रबंधनिदेशक, निदेशक, स्वत्वधारी, भागीदार, आदि के नाम

3. कारखाने का पता

4. कच्चे माल का स्रोत—

(क) क्या अनन्यत: ऐसे पशुओं से है जिनका वध कारखाने के परिसर में किया जाता है ।

(ख) क्या कब अनुमोदित लोक वधशाला से सीधे किया जाता है ।

(ग) अन्य स्रोतों से

5. ऐसे मांस खाद्य उत्पाद का वर्णन जिनका आवेदक विनिर्माण करना चाहता है ।

6. 8 घंटे की प्रत्येक पारी की प्रतिष्ठापित क्षमता ।

7. विद्यमान अनुज्ञप्ति सं० , यदि कोई हो ।

8. पूर्वतन वर्ष के दौरान विनिर्मित मांस खाद्य उत्पाद का कुल मूल्य ।

मैं/हम मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के सभी उपबंधों का अनुपालन करने का एतद्द्वारा वचनबद्ध हूं/हैं ।

मैं/हम मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के उपबंधों के अनुसार देय अनुज्ञप्ति फीस/अनुज्ञप्ति के नवीकरण की फीस की बाबत रु० (केवल.....रु०) का एक खजाना चालान इसके साथ नत्थी करता हूं/करते हैं ।

स्थान : आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

तारीख :

कारखाने का नक्शा और उपस्कर की सूची इस आवेदन के साथ भेजें जाएंगे । किन्हीं परिवर्धनों या उपान्तरणों की रिपोर्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी को एक मास के भीतर की जानी चाहिए ।

प्ररूप 'ख'

(खण्ड 6 देखिए)

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

विपणन और निरीक्षण निदेशालय

संप्रतीक

मास खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के अधीन अनुज्ञप्ति

अनुज्ञप्ति सं० मां०सा०उ०आ०.....

प्रवर्ग.....

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता ।

2. कारखाने का पता

यह अनुज्ञप्ति मांस खाद्य उत्पाद आदेश, 1973 के अधीन और उसके उपबंधों के अधीन मंजूर की गई है ।

स्थान :

तारीख :

(अनुज्ञापन प्राधिकारी)

कृषि विपणन सलाहकार,

विधिमान्यकरण और नवीकरण

विधिमान्यता की अवधि	विनिर्माण के लिए प्राधिकृत मास खाद्य उत्पाद का वर्ग	संदत्त अनुज्ञप्ति फीस/ नवीकरण फीस रु० (शब्दों में)	अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप 'ग'

(खण्ड 10 देखिए)

1. अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पता ।

2. कारखाने का पता ।

3. मां०खा०उ०आ० अनुज्ञप्ति सं० ।

4. प्रवर्ग

वर्ष 19 19 के दौरान विनिर्मित मांस खाद्य उत्पाद के परिमाण और मूल्य दर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०
मांस खाद्य उत्पाद का नाम
डिब्बा या बोतल का आकार
विक्रय मूल्य प्रति किलोग्राम
मूल्य रुपए में
निर्यात किया गया परिमाण
निर्यात के पत्तन
देश जिसको निर्यात किया गया
दर प्रति किलोग्राम लागत, बीमा और भाड़ा । पोतपर्यन्त निःशुल्क
मूल्य
टिप्पणियां

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त सारणी में दिए गए प्ररूप में एक रजिस्टर निरीक्षण के लिए रखा जाएगा ।

द्वितीय अनुसूची

[खण्ड 9(2) देखिए]

किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुपालन की जाने वाली स्वच्छता संबंधी और अन्य अपेक्षाएं

अनुज्ञप्तिधारी का कारखाना, अनुज्ञापन प्राधिकारी की राय में, मांस खाद्य उत्पाद के वर्ग या वर्गों के विनिर्माण के लिए ठीक होगा जिसके लिये उसे अनुज्ञप्ति मंजूर की गई है । न्यूनतम स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं नीचे दी गई हैं:—

1. कारखाने के सभी भाग हमेशा साफ, पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त और संवातित रखे जाएंगे और नियमित रूप से साफ, रोगाणुनाशित किए जाएंगे और उनकी दुर्गन्ध दूर की जाएगी । फर्श अभेद्य होगा और उसकी प्रतिदिन धुलाई होगी । यथास्थिति, सफेदी, रंग पुताई या पेंट प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार किया जाएगा । फर्श, दीवालें, भीतरी छत, विभाजन, भाग दरवाजे और सभी संरचनाओं के अन्य भाग ऐसी सामग्री, निर्मित वस्तु और फिनिश के होंगे ताकि वे आसानी से और पूर्णतः साफ किये जा सकें ।

2. खिड़कियां, दरवाजे और प्रतिच्छादन के लिए उपयुक्त अन्य द्वार मक्खी से रक्षित होंगे । सभी दरवाजों में मजबूत स्प्रिंग होंगे ताकि वे स्वतः बन्द हो सकें ।

3. नीचे की छत या छत स्थायी होगी । फर्श, जो अभेद्य होना चाहिये, सीमेंट का, टाइल का या पत्थर का होना चाहिए ।

4. परिसर किसी स्वास्थ्यकर स्थान पर स्थित होंगे ।

5. सभी बाड़े, उपगृह, भण्डार और कारखाने को जाने वाले सभी रास्ते हमेशा साफ और स्वास्थ्यकर दशा में रखे जाएंगे ।

6. कारखाना इस प्रकार बनाया जाएगा और अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें स्वास्थ्यकर उत्पादन हो सके । मांस खाद्य उत्पाद के तैयार करने या पैक करने के संबंध में सभी क्रियाएं पूर्णतः स्वास्थ्यकर दशाओं के अधीन होंगी । कारखाना परिसरों का कोई भी भाग कभी भी रहने और सोने के प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा जब तक कि कारखाने से एक दीवाल द्वारा पृथक न कर दिया गया हो ।

7. वहां पर्याप्त जल-निकास और नलकारी व्यवस्थाएं होंगी और सभी नालियां और मल-नालियां उचित रूप से और स्थायी रूप से बनाई जाएंगी । वहां कूड़े के हटाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था होगी ।

8. मांस खाद्य उत्पाद के विनिर्माण के लिए अनुमोदित किए गए उपस्कर और विनिर्माण क्षेत्र किसी अन्य उत्पाद के विनिर्माण के लिए प्रयोग नहीं किए जाएंगे । ऐसे कमरे और कक्ष जहां खाद्य उत्पाद का बन्दोबस्त किया जाता है, अखाद्य उत्पादों के लिए कमरों और कक्षों से अलग और भिन्न होंगे ।

9. सभी कारखानों में पर्याप्त शीतागार सुविधाएं होंगी ।

10. वे कमरे और कक्ष, जिनमें कोई मांस खाद्य उत्पाद तैयार किया जाता है या उसका बन्दोबस्त किया जाता है धूल रहित और सफाई करने के कमरों, शौचालयों, जलरोक क्षेत्रों, चमड़े के गोदामों, खोल चढ़ाने के कमरों और पशुधन बाड़ों से आने वाली दुर्गन्ध से रहित होंगे ।

11. कारखाने में मक्खियों, चूहों, चूहियों और हानिकारक कीड़ों को न आने देने के लिए हर सम्भव पूर्वावधानी बरती जाएगी । उन कमरों और कक्षों में, जहां कोई खुला उत्पाद रखा हुआ हो या उसका बन्दोबस्त किया गया हो, किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी प्रकार के विष का प्रयोग निषिद्ध है । किन्तु चमड़े के गोदामों, कक्षों, जहां अखाद्य उत्पाद रखे हुए हों, उपगृह या डिब्बाबन्द उत्पाद अन्तर्विष्ट करने वाले अन्य वैसे ही भवनों में अनुमोदित चार विषों का प्रयोग निषिद्ध नहीं है ।

12. कुत्तों और बिल्लियों का प्रवेश प्रतिषिद्ध है ।

13. कोई भी ऐसा भाण्ड, आधान या अन्य उपस्कर, जिसके प्रयोग से स्वास्थ्य के लिए हानिकर धात्विक संदूषणता उत्पन्न होने की संभावना हो, मांस खाद्य उत्पाद के तैयार करने, पैक करने या भण्डारकरण में प्रयोग नहीं किया जाएगा । (तांबे या पीतल के भाण्डों पर हमेशा पर्याप्त मात्रा में कलई होनी चाहिए । कोई भी लोहा या जस्ती लोहा मांस खाद्य उत्पाद के सम्पर्क में नहीं आयेगा ।)

14. विनिर्माण में प्रयुक्त जल पेय होगा और, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए तो उसकी किसी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला द्वारा रासायनिक और जीवाणु-परीक्षा करानी होगी । ऐसे विश्लेषण का खर्च विनिर्माता द्वारा वहन किया जाएगा ।

15. जहां कहीं पांच या उससे अधिक महिला या पुरुष कर्मचारी नियोजित हों वहां प्रत्येक महिला या पुरुष के लिए शौचालयों और धावन पात्रों की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जाएगी जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट किया गया है:—

कर्मकारों की संख्या	शौचालयों की संख्या	धावन पात्रों की संख्या
25 से अधिक न हो	1	1
25 से अधिक हो परन्तु 49 से अधिक न हो ।	2	2
50 से अधिक हो परन्तु 100 से अधिक न हो	3	3
100 से और 100 से अधिक हो	5	5

16. जब कभी पाक खुली अग्नि पर किया जाय तो धुआं और कालिख निकालने के लिए चिमनियों की व्यवस्था करनी होगी ।

17(1) कोई भी व्यक्ति, जो संक्रामक या सांसर्गिक रोगों से पीड़ित है, कारखाने में कार्य करने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जाएगा । कारखाने के कर्मचारिवृन्द को ऐसे अंतरालों पर जिसे अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे, स्वास्थ्य परीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिये, कि उन्हें कोई भी संक्रामक, सांसर्गिक और अन्य रोग नहीं है, कराने की व्यवस्था करनी होगी । इन परीक्षाओं का किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित अभिलेख निरीक्षण के लिए रखा जाएगा ।

(2) कारखाने के कर्मचारीवृन्द के वर्ष में एक बार एन्ट्रेरिकग्रुप के रोगों के टीके और चेचक के टीके लगाने होंगे और उनका प्रमाणपत्र निरीक्षण के लिए रखा जाएगा ।

(3) महामारी की दशा में सभी कर्मकारों को टीके लगाए जाने चाहिए ।

18. उसके प्रसंस्करण करने और तैयार करने में कार्यशील कर्मकारों का उचित मलवस्त्र और साफे, जो साफ होंगे, दिए जाएंगे । प्रबंधमण्डल को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी कर्मकार साफ-सुथरे और स्वस्थ हैं ।

19. मांस खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए प्रयोग किया गया मांस, यदि उसका वध कारखाने में नहीं किया गया है, केवल ऐसी वधशाला से अभिप्राप्त किया जाएगा जिसमें स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में विहित किए गए और प्रमाणित किए गए नियमों के अनुसार मरण से पूर्व और मरणोत्तर निरीक्षण किए जाते हैं । ऐसे मांस का परिवहन वधशाला से कारखाने की यह सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्यकर दशाओं में और पर्याप्त पूर्वाधानियों के साथ किया जाएगा कि उसके प्राप्त करने और कारखाने में उसके प्रसंस्करण के प्रारम्भ होने के समय के बीच की अवधि के दौरान कोई भी संदूषण या ह्रास न हो ।

20. कारखाने के साइज और विनिर्मित मांस खाद्य उत्पाद के परिमाण और किस्म के अनुसार एक प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी और उसमें अर्हित और प्रशिक्षित कार्मिक तैनात किए जाएंगे । अनुज्ञापन प्राधिकारी प्रयोगशाला का निरीक्षण करने के पश्चात् इसे अनुमोदित करेगा ।

तृतीय अनुसूची

[खण्ड 9(3) देखिए]

ऐसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, जो अपने कारखाने में पशुओं का वध भी करता है, अनुपालन किए जाने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी और अन्य अपेक्षाएं।

द्वितीय अनुसूची में विहित शर्तों के अतिरिक्त, प्रत्येक विनिर्माता, जो मांस खाद्य उत्पाद के विनिर्माण के प्रयोजन के लिए अपने कारखाने की परिसर के भीतर पशुओं का वध करता है, निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

1. कारखाने से संलग्न वधशाला के साफ और गन्दे अनुभागों के बीच पर्याप्त दूरी होगी और वह इस प्रकार व्यवस्थित होगी कि वधशाला में जीवित पशुओं के प्रवेश से लेकर मानव उपयोग के यथायोग्य वर्गीकृत मांस और मांसोच्छिष्ट के निर्गमन तक जीवित पशुओं और मांस के बीच और मांस और उपोत्पाद या छालन के बीच बिना किसी उलट-फेर, अन्तर-नुभाग या अतिछादन के, एक निरन्तर अग्र-गति होगी।

2. (1) वधशाला में विश्राम स्थल का एक संग्रहण क्षेत्र, पशुविश्रामिक, वधहाल, आनुषंगिक स्थान और प्रशीतन कक्ष होंगे।

(2) संग्रहण क्षेत्र या विश्राम स्थल में, पशुओं को रोक-बाड़े में उनको भेजे जाने के पहले पानी पिलाने और परीक्षा की सुविधाएं होंगी। ऐसे पशुओं को जिन पर सांसर्गिक या संक्रामक रोग होने का संदेह हो पृथक किया जाएगा और उन्हें पृथक बाड़ों में रखा जाएगा, उनमें भी पानी पिलाने और चारा खिलाने के लिए प्रबन्ध होगा। विश्राम स्थल के ऊपर कुछ सुरक्षात्मक छप्पर होगा।

(3) बाड़े की लम्बाई-चौड़ाई उन पशुओं की संख्या के लिए पर्याप्त होगी जिनको वहां रखा जाना है।

3. प्रत्येक कारखाने में विभिन्न किस्मों के पशुओं के वध के लिए और वध की विभिन्न रीतियों के लिए वध-हाल में पृथक-पृथक व्यवस्था होगी। प्रत्येक प्रकार की संक्रिया के पश्चात् वधशाला साफ की जाएगी और धोई जाएगी।

4. वधशाला की दीवारों के आन्तरिक हिस्से का प्रत्येक भाग और उसके फर्श या खड़ंजे का प्रत्येक भाग सभी समय अच्छी हालत और मरम्मत में रखा जाएगा ताकि इसमें किसी रक्त का भाग या द्रव अवशिष्ट या मल, जो उस पर गिर जाएगा बिखर जाए, अथवा दुर्गन्धित या क्षतिकारक पदार्थ जो उसमें जमा हो जाए या उसके सम्पर्क में आ जाए, के अवशोषण को रोका जा सके। ऐसी वधशाला के फर्श या खड़ंजे के ऊपर के आन्तरिक हिस्से का प्रत्येक भाग मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर के पहले दस दिन के भीतर गर्म चूने से भली प्रकार धोया जाएगा। वधशाला के फर्श या खड़ंजे का प्रत्येक भाग और प्रत्येक दीवार के आन्तरिक हिस्से का ऐसा प्रत्येक भाग, जिस पर रक्त या द्रव, अवशिष्ट या मल गिर जाए या बिखर जाए या वध करने, साफ करने और काटने की प्रक्रिया के दौरान उसके सम्पर्क में कोई दुर्गन्धित या क्षति-कारक पदार्थ आया हो, वध के पूरा हो जाने के बाद तीन घण्टे के भीतर पानी तथा डियूडारेन्ट या जीवा-नाशक से भली प्रकार धोया और साफ किया जाएगा।

5. यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कुत्ते, बिल्लियां या पक्षी वध-हाल तक न पहुंच पाएं। कारखाने के खुले क्षेत्र तार की जाली से ढके जाएंगे ताकि मुरदाखोर पक्षी वधशाला या कारखाने तक न पहुंच पाएं।

6. उस मांस को, जिसकी मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा वधशाला के परिसर के भीतर उपयुक्त प्रयोगशाला में और परीक्षा की अपेक्षा हो, अलग रखने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

7. रक्त की निकास प्रणाली या तो भूगत होगी जिसमें आसानी से साफ करने की सुविधा हो या उसमें ढक्कन सहित ऐसा पात्र हो जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाया जा सके।

8. मंज्ञाहीन करने के लिए (जहां कहीं भी लागू हो), रक्त के लिए और पशु शवों के साफ करने के लिए अलग स्थान की व्यवस्था की जाएगी। किसी भी पशु का वध किसी अन्य पशु के सामने नहीं किया जाएगा। पशु-शव की सफाई फर्श पर नहीं की जाएगी।

9. वे कमरे और कक्ष, जिनमें पशुओं का वध किया जाता हो या किसी उत्पाद का प्रसंस्करण या उसको तैयार किया जाता हो, भाप, वाष्प और नमी से पर्याप्त रूप से मुक्त रखे जाएंगे, ताकि संक्रियाएं सफाई से की जा सकें। यह बात उन कमरों और कक्षों के ऊपरी संरचना को भी लागू होगी।

10. निष्प्रयोज्य मांस के पृथक्करण और भंडारकरण के लिए उपयुक्त और पर्याप्त स्थान की व्यवस्था की जाएगी।

11. वधशाला में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए मांस को तैयार करने और भंडारकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाले कमरों में प्रवेश करने से पूर्व उनके कपड़े बदलने और हाथ साफ करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

12. चमड़ा और खाल के भंडारकरण के लिए उपयुक्त और अलग अलग स्थान की व्यवस्था की जाएगी। इस कमरे का बाहर निकलने का द्वार अलग होगा।

13. जब कभी साफ किया हुआ मांस, मांस खाद्य उत्पाद तैयार करने के लिए प्रयुक्त न किया गया हो और उसका कुछ भाग और तुरन्त प्रसंस्करण के बिना भंडार में रखा जाना हो तो ऐसा भंडारकरण ऐसे कमरे में किया जाएगा जिसका तापमान 3.5° सेंटीग्रेड से 10° सेंटीग्रेड हो।

14. पशु-बाड़ों, वध-हालों, कार्यशालाओं, मांस लटकाने के कमरों में सभी फर्श अवैद्य और न फिसलने वाली सामग्री के बने होंगे।

15. सीलिंग या छतों का इस प्रकार संनिर्माण किया जाएगा और उन पर फिनिश की जाएगी ताकि संघनन, फफूंदी लगना, पपड़ी जमना और गन्दगी का इकट्ठा होना कम किया जा सके।

16. वध-हाल में कार्य घंटों के दौरान स्वच्छ गर्मपानी का निरन्तर प्रदाय होना चाहिए।

17. वध-हालों में, कर्तनकाष्ट, काटने के तख्ते और छाड़ुओं के सिवाय उपस्कर और फिटिंग ऐसी सामग्री की होंगी और ऐसी बनावट की होंगी कि उनको साफ रखा जा सके। औजार धातु या अन्य साफ की जा सकने वाली और टिकाऊ धातु के होंगे, जो संक्षरण अवरोधी हों।

18. वधशाला के भीतर पोंछने वाले कपड़ों, कुर्ता और वधशाला में प्रयोग किए गए अन्य उपस्कर के निर्जमीकरण के लिए सुविधाजनक स्थानों में उपयुक्त और पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी।

19. वधशाला से, सुविधाजनक समय पर, सब छिछड़ों, अंतड़ियों, मल और अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए उपयुक्त और पर्याप्त पात्रों की, जिन पर ठीक फिट होने वाली ढक्कन लगे हों, व्यवस्था की जाएगी और उन्हें कारखाने से दूर के स्थान पर व्ययन करने के लिए हटाने की व्यवस्था की जाएगी।

20. किसी वध किए गए पशु का सारा रक्त, गोबर, छिछड़ेअन्तड़ियों, मल या अन्य अपशिष्ट और उसका चमड़ा, वसा, आंतें और मांसोच्छिष्ट वधशाला से वध किए जाने के पश्चात् 8 घंटों के भीतर हटाए जाएंगे और यह ऐसी रीति और ऐसे साधनों द्वारा किया जाएगा जिससे कि परिसर पर या अन्य स्थान पर न्यूसेन्स न हो। ऐसा प्रत्येक बर्तन या पात्र प्रयोग किए जाने के तुरन्त पश्चात् भली प्रकार से साफ किया जाएगा और जब वह वस्तुतः प्रयोग नहीं किया जा रहा हो तब भी साफ रखा जाएगा।

21. खाल के अन्दर का हिस्सा वध-हाल के किसी भाग के भीतर भूमि पर रगड़ा या रगड़वाया नहीं जाएगा। चमड़ा और खालें वधहाल के भीतर घसीटी नहीं जाएंगी। किसी वध-हाल में, वधहाल के समीप के स्थान के सिवाय जो इन उत्पादों और प्रयोजनों के लिए आवंटित है, तांत बनाने, आंत-ओझड़ियों को साफ करने, मांस खाद्य उत्पादों का विनिर्माण या तैयार करने, घर के समान को साफ करने किसी अन्य प्रकृति का कार्य, उस कार्य से भिन्न जो वध करने में पशु-शव को साफ करने में किया जाता है, करने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

22. मरण पूर्व निरीक्षण :—

(1) सभी पशुओं को वध करने से पूर्व पर्याप्त आराम दिया जाएगा और वध के समय से काफी समय पूर्व उनकी मरण पूर्व परीक्षा और निरीक्षण किया जाएगा।

(2) कोई भी पशु जो वध करने के प्रयोजन के लिए वध-हाल में लाया गया है, मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षण की लिखित सम्मिति के बिना वध किए जाने से पूर्व वध-हाल में से नहीं हटाया जाएगा। किसी पशु पर, जो निरीक्षण किए जाने पर, वध किए जाने के लिए उपयुक्त न पाया जाए, "संदिग्ध" चिह्नित किया जाएगा और पृथक रखा जाएगा। प्रत्येक ऐसा पशु, केवल मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा या उसके वैयक्तिक पर्यवेक्षण के अधीन "संदिग्ध" के रूप में चिह्नित किया जाएगा और ऐसा चिह्न, मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक के सिवाय और किसी के द्वारा हटाया या मिटाया नहीं जाएगा।

(3) ऐसा पशु जिसमें मरण पूर्व निरीक्षण के समय किसी रोग के चिह्न पाए जाते हैं, जिससे उसकी रास मरणोत्तर परीक्षा पर अन्तोगत्वा निष्प्रयोज्य हो जाए, "निष्प्रयोज्य" के रूप में चिह्नित किया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(4) वह पशु, जो मरण पूर्व निरीक्षण पर "संदिग्ध" के रूप में घोषित किया गया है किन्तु साधारणतया ऐसा कोई रोग या हालात नहीं दर्शाता जिससे कि पूर्ण पशु-शव ही निष्प्रयोज्य की जायें, अपनी "संदिग्ध" पहचान तब तक बनाए रखेगा जब तक कि इसकी रास और सभी अंगों का निरीक्षण मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा अन्तिम रूप से न कर लिया जाए ।

(5) ज्वर संक्रांत की हालत में किसी भी पशु का वध करने की इजाजत नहीं दी जाएगी । कोई भी संदिग्ध पशु तब तक वध नहीं किया जाएगा जब तक कि उस दिन वध किए जाने वाले सभी पशुओं का वध न कर दिया जाए । वे सभी पशु, जो मरण पूर्व निरीक्षण पर रेल-रोड बीमारी प्रसूति पक्षाघात, हड़क, धनुष टंकार या किसी अन्य संचारी रोग के लक्षण दर्शाता हो, "निष्प्रयोज्य" के रूप में चिह्नित किया जाएगा और उसका व्ययन नीचे के उपैरा (8) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ।

(6) वे पशु, जो वध के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और कारखाने के परिसर पर नए रोग के कारण मरणावस्था में पाए जाएं, "निष्प्रयोज्य" के रूप में चिह्नित किए जाएंगे और उनका व्ययन "निष्प्रयोज्य" पशुओं के लिए यथा उपबन्धित रीति से किया जाएगा ।

(7) ऐसा प्रत्येक पशु, जिसमें परीक्षा करने पर बीमारी के लक्षण पाए जाएं या जिस पर बीमार होने का संदेह हो या वे पशु जो "संदिग्ध" घोषित किए गए हैं, ऐसे विशेष बाड़ों में उपचार के लिए तुरन्त हटाए जाएंगे और वहां इतनी अवधि के लिए जितनी कि यह निश्चित करने के लिए आवश्यक समझी जाए कि पशु बीमार है या नहीं, संप्रेक्षण हेतु रखे जाएंगे ।

(8) वे सभी पशु, जो मरण पूर्व निरीक्षण पर "निष्प्रयोज्य" घोषित कर दिए गये हैं "निष्प्रयोज्य" के रूप में चिह्नित किए जाएंगे और यदि वे पहले ही मरे न हों, मार दिए जाएंगे । ऐसे पशुशव कारखाने में वध करने के लिए या साफ करने के लिए नहीं ले जाए जाएंगे और न ही वे कारखाने के ऐसे कक्ष में ले जाए जाएंगे जो खाद्य उत्पादों के लिए प्रयुक्त किया जाता है किन्तु उनका व्ययन निष्प्रयोज्य पशुशवों के लिए पैरा 24 के उपपैरा 12 से 15 में यथा उपदर्शित रीति से किया जाएगा ।

(9) निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित बातें नोट की जाएंगी और उनका अभिलेख रखा जाएगा:—

(क) ट्रक में अधिक भरने, उसे तेज चलाने या अन्य कृत्य द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का साक्ष्य;

(ख) रोग के वे लक्षण, जो पशु के साधारण स्वास्थ्य को प्रभावित करें या मांस के अवमूल्यित करे;

(ग) किसी सांसर्गिक, या संक्रामक रोग की उपस्थिति या ऐसे पशुओं के मांस का उपयोग करने से मनुष्यों को संचारित होने वाला रोग या लक्षण जिनसे यह पता चलता हो कि रोग बढ़ रहा है; और

(घ) किस्म, लिंग, रंग, आयु और शरीरिक तापक्रम। विशेष रूप से निम्नलिखित की ओर ध्यान दिया जाएगा :

(क) पोषण की दशा, विशेष रूप से दुर्बलता;

(ख) खड़े होने और चलने का तरीका;

(ग) वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया;

(घ) चमड़े, खाल और बालों की दशा;

(ङ) पाचन प्रणाली (ओंठ, मुंह, मसड़ार, जुगाली और गोबर की क्वालिटी और भूख);

(च) तालुजिह्वा, योनि, और स्तन ग्रन्थियां; और

(छ) श्वसन प्रणाली (नासाछिद्र और श्वासक्रिया)।

23. मानवोचित वध.—वध की निम्नलिखित पद्धति मानवोचित समझी जाएगी:

(1) सभी पशुओं को वध करने से पूर्व एक चोट से, भयभीत करके विद्युत् झटके से या रसायनिक या किसी अन्य साधन से चेतनाहीन और संज्ञाहीन किया जाना है।

(2) सूअरों को नोकदार चीज भोंक कर मारने के पूर्व विद्युत्-झटके से या उनको कार्बन डाइआक्साइड गैस के कक्ष में रख कर या उसमें से गुजार कर संज्ञाहीन किया जाएगा। इन पद्धतियों के लिए सुविधाओं के न होने पर सूअरों को वध-बोल्ट टाइप की पिस्तौल से संज्ञाहीन किया जाएगा।

(3) गोजातीय पशुओं के वध-बोल्ट पिस्तौल से संज्ञाहीन किया जाएगा ताकि उनका वध करने, श्रृंखला वध करने, लटकाने या अन्यथा काटने के पूर्व उनको संज्ञाहीन किया जा सके।

24. मरणोत्तर निरीक्षण :—

(1) वध किए गए सभी पशुओं के शवों और उनके भागों की, उनको वध करने के शीघ्र पश्चात् सावधानी पूर्वक और विस्तृत मरणोत्तर परीक्षण और निरीक्षण किया जाएगा। मांस खाद्य उत्पादों को तैयार करने में प्रयुक्त किये जाने वाले पशु-शवों के सभी अंगों और भागों और रक्त को ऐसी रीति से रखा जाएगा जिससे मरणोत्तर परीक्षण के पूरे होने तक उनकी पहचान बनाई रखी जा सके और पशुशवों के निष्प्रयोज्य होने की दशा में उनको पहचाना जा सके।

(2) प्रत्येक पशु-शव को, जिसमें उसके विच्छिन्न किए गए भाग और अंग भी सम्मिलित है, जिससे किसी ऐसी दशा का साक्ष्य मिलता हो कि वह मांस को या उसके किसी भाग को या किसी अंग को मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य बना देगी और उस कारण से बाद में निरीक्षण करना अपेक्षित हो, मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा रख लिया जाएगा। ऐसे पशु-शव की पहचान, जिसके अन्तर्गत उसके विच्छिन्न भाग और अंग भी हैं, तब तक रखी जाएगी जब तक उसका अन्तिम निरीक्षण पूरा न हो जाए। रखे गए पशु शवों को,

उनके विच्छिन्न भागों और अंगों को तब तक रखा जाएगा जब तक अन्तिम निरीक्षण पूरा न हो जाए। रखे गए पशु-शवों, उनके विच्छिन्न भागों और अंगों का किसी भी दशा में और किसी रीति में प्रक्षालन, कांट-छांट या विरूपण नहीं किया जाएगा जब तक कि मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न किया गया हो।

(3) किसी पशु-शव या पशुशव के किसी भाग के तंतुओं में मुंह से हवा नहीं भरी जाएगी।

(4) प्रत्येक पशु-शव या उसके किसी भाग पर जो मानवीय उपयोग के लिए अयोग्य पाया गया हो मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा 'निरीक्षित और अप्रयोज्य' चिह्नित कर दिया जाएगा।

(5) सभी ऐसे अप्रयोज्य पशु-शव, उनके भाग और अंग उस दिन के अन्त तक या उसके पूर्व, जिसको इस पैरा के उपपैरा (11), (12) और (13) के अनुसार उन पर निरीक्षित और अप्रयोज्य चिह्नित किया गया हो, व्ययन के लम्बित रहने के दौरान मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक की अभिरक्षा में रहेंगे।

(6) उन पशुओं, उनके भाग और अंगों पर, जो मानवीय उपयोग के लिए अच्छे स्वास्थ्यप्रद और योग्य हों, 'निरीक्षित और प्रयोज्य' चिह्नित किया जाएगा।

(7) वे पशु-शव, जिनके बारे में अन्त्य निष्कासन के पूर्व यह पता चल जाए कि वे व्रणरोग से प्रभावित हैं, तो उनका अन्त्यनिष्कासन नहीं किया जाएगा किन्तु उनको अप्रयोज्य घोषित कर दिया जाएगा और निम्न उपपैरा (12) के अनुसार उनका तत्काल व्ययन कर दिया जाएगा। किसी पशु-शव का कोई भाग जो मिट्टी से भरे औजारों के संसर्ग से या अन्यथा व्रण संक्रामित सामग्री से संदूषित हो गया हो, तत्काल अप्रयोज्य घोषित कर दिया जाएगा और निम्न उपपैरा (12) में यथा उपबन्धित उनका व्ययन कर दिया जाएगा।

(8) व्रण सामग्री के संसर्ग से संदूषित वध-कक्ष का कोई भाग, जिसमें उपस्कर, कर्मचारियों के बूट और पोशाकें, आदि सम्मिलित हैं, तत्काल साफ किया जाएगा और उसको पूर्णतः रोगणुनाशित किया जाएगा।

(9) निरीक्षण के समय जब हल्की खरोंचों के कारण पशु-शव के एक भाग को अप्रयोज्य घोषित किया जाना हो तो, ऐसी दशा में या तो खरोंच लगे हुए भाग को तत्काल हटा दिया जाएगा और निम्न उपपैरा (13) के अनुसार उनका व्ययन कर दिया जाएगा, या पशु-शव को रख लिया जाएगा और उसको तब तक रखा जाएगा जब तक उसे शीतल न कर दिया जाए और ऊपर उपबंधित के अनुसार खरोंच लगे हुए भाग को हटा न दिया जाये और उसका व्ययन न कर दिया जाए।

(10) मरणोत्तर निरीक्षण विस्तृत रूप में किया जाएगा और उसमें पशु-शव के सभी भाग, आंत, औझड़ी, लसिका, ग्रन्थियां और सभी अंग और ग्रन्थियां सम्मिलित होंगी।

(11) मरणोत्तर निरीक्षण स्थानीय निकायों के नियंत्रण के अधीन लोक वध-शालाओं के ऐसे निरीक्षण के लिए अधिकथित साधारण नियमों के अनुसार

और साथ ही ऐसे विशेष अनुदेशों के अनुसार जो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए गए हों, किया जाएगा ।

(12) सभी निष्प्रयोज्य पशु-शवों, उनके अंगों या भागों को, मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक की उपस्थिति में छुरे से आसानी से काट कर और अपरिष्कृत कार्बोलिक अम्ल, क्रिसिलिकनिर्जिवाणुक और किसी अन्य विहित अभिकर्मक से, भस्मीकरण द्वारा या विकृतिकरण द्वारा पूर्णत: नष्ट किया जाएगा, जब तक कि ऐसे पशु-शवों उनके अंगों या भागों को, निम्न उपपैरा (13) के अधीन वधशाला परिसर छोड़ने के पूर्व अस्थि एवं मांस चूर्ण तैयार करने के लिए निर्जर्मीकरण न कर दिया गया हो ।

(13) उन पशु-शवों, उनके अंगों या भागों का, जो व्रण के कारण निष्प्रयोज्य हो गए हैं, व्ययन पूर्ववर्ती पैराओं में विहित रीति में और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विहित नियमों और विनियमों के अनुसार या तो (i) पूर्णत: भस्मीकरण या द्वारा (ii) विहित विकर्ता के साथ विकृतिकरण द्वारा किया जाएगा ।

(14) निष्प्रयोज्य पशुशवों, उनके अंगों या भागों को मांस खाद्य, उत्पाद निरीक्षक के सीधे पर्यवेक्षण के अधीन नष्ट किया जाएगा ।

(15) यदि मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक की राय में पशु-शव, उसके अंग या भाग को और आगे विस्तृत परीक्षण लिए रोके रखना हो तो उस पशु-शव, उसके सम्बन्धित अंग या भाग को तब तक निर्मुक्त नहीं किया जाएगा जब तक मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा विस्तृत रूप से उसकी परीक्षा पूरी नहीं कर ली जाती और उसके द्वारा तत्पश्चात् उसको ठीक घोषित नहीं कर दिया जाता । जब उस पशु-शव का विस्तृत परीक्षा के लिए रोक रखना हो तो उस पशु-शव, उसके किसी अंग या भाग पर "रोक ली गई" चिह्नित किया जाएगा । यदि बाद के निरीक्षण के समय पशु-शव, उसका कोई अंग या भाग मानवीय स्वास्थ्य के लिए अस्वास्थ्यप्रद और अनुपयुक्त पाया जाए तो ऐसा पशु-शव उसके किसी अंग या भाग पर मांस खाद्य उत्पाद निरीक्षक द्वारा "निष्प्रयोज्य" चिह्नित कर दिया जाएगा और पूर्ववर्ती पैराओं में वर्णित रीति के अनुसार उनका व्ययन कर दिया जाएगा ।

चतुर्थ अनुसूची

[खण्ड 9(4) देखिए]

मांस खाद्य उत्पादों के आधानों के पैक करने, चिह्नित करने और लेबल लगाने की बाबत अनुपालन की जाने वाली अपेक्षाएं

1. मांस खाद्य उत्पाद ऐसे उपयुक्त आधानों में पैक किए जाएंगे, जो नीचे विनिर्दिष्ट किए गए हैं :

(क) सभी आधान दृढतापूर्वक पैक और मुद्रावन्द किए जाएंगे ।

(ख) उपयुक्त किस्म के लोहे की चादर से बने नए स्वास्थ्यकर ऊंचे बढ़िया डिब्बे प्रयोग किए जाएंगे । डिब्बों के भीतर पालिश की जाएगी ; वे भरने के के पश्चात् अवात-मुद्रावन्द किए जाएंगे । प्रयोग की गई पालिश "सल्फर प्रतिरोधी" होगी और चरबी या नमकीन पानी में अविलेय होगी ।

(ग) सूअर का संचयन मांस भरने के लिए प्रयोग किए गए डिब्बों के भीतर खाद्य चिपचिपी सूअर की चर्बी का लेप किया जाएगा या उसे भरने से पूर्व वनस्पति चिमड़ा कागज से अन्तःस्तरित किया जाएगा ।

(घ) डिब्बों का बाहरी भाग बड़ी पिचक, जंग, छेदों और प्रतिमान विरूपण रहित होगा ।

(ङ) डिब्बे टपकने वाले नहीं होंगे ।

(च) पैक करने के लिए प्रयोग की गई बोतलों और मर्तबान नये होंगे और अवात मुद्रावन्द किए जाने योग्य होने चाहिएं ।

2. पैक करने की सामग्री साफ होगी और उन्हें अन्तिम उत्पाद के संदूषण को रोकने के लिए साफ और स्वास्थ्यकर रीति में भंडार में रखा जाएगा ।

3. अवात, मुद्रावन्द आधानों में पैक किए गए मांस खाद्य उत्पाद को बिगड़ने से बचाने के लिए खाद्य प्रसंस्करण, भंडारकरण और परिवहन की वाणिज्यिक दशाओं के अधीन किया जायेगा ।

4. पैय जल से भिन्न कोई भी जल किसी अवात मुद्रावन्द आधान को बनाने या ठंडा करने के लिए प्रयोग नहीं किया जाएगा ।

5. प्रसंस्करण के पश्चात् आधान ऐसी रीति से संभाल कर रखे जाएंगे जिससे उत्पाद को संदूषण से बचाया जा सके । पेटियां, डाल और डिब्बे ढोने के अन्य उपस्कर साफ दशा और अच्छी मरम्मत युक्त रखे जाएंगे ।

6. प्रसंस्कृत अवात-मुद्रावन्द आधानों का निरीक्षण किया जाएगा ताकि नुकस वाले आधानों को अलग किया जा सके ।

7. प्रत्येक विनिर्माता आधानों के अलग-अलग बैचों के प्रतिचयन के इन्क्यूवेशन के लिए पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ।

8. विनिर्माता, ऐसे मांस से व्युत्पन्न, जिसका पहले ही निरीक्षण किया जा चुका है और उसे पास किया जा चुका है, मांस खाद्य उत्पादों से भरे प्रत्येक आधान को पैक करने के पश्चात् उस पर समुचित लेबल दृढ़ता पूर्वक चिपकाएगा ।

9. सभी लेबलों के नमूनों को उन्हें प्रयोग करने से पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी से अनुमोदित करना होगा ।

10. लेबलों पर निम्नलिखित विशिष्टियां स्पष्टतः चिह्नित की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) उत्पाद का नाम ।

(ख) पैक करते समय विषय-वस्तु का शुद्ध भार या परिमाण ।

(ग) विनिर्माता का नाम और विनिर्माण का स्थान ।

(घ) जहां प्राकृतिक रंग से भिन्न कोई अनुज्ञात परिरक्षी या रंजक अधिकर्मक मिलाया जाता है तो उस आशय का एक विवरण कि इसमें प्राकृतिक रंग से भिन्न अनुज्ञात परिरक्षी और रंजक अधिकर्मक अन्तर्विष्ट है ।

(ङ) अनुज्ञप्ति संख्या और विनिर्माण का प्रवर्ग ।

(च) उत्पाद का नाम हमेशा सामान्य नाम होगा जो पैक की गई वस्तुओं को स्पष्टतः परिलक्षित करे, उपभोक्ता द्वारा समझा जाएगा । नमक लगा कर, भाप देकर, सुखा कर और पका कर, आदि द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की दशा में उसका प्रसंस्करण लेबल पर उपदर्शित करना होगा । उत्पादों से सम्बन्धित ऐसी संदिग्धार्थी शब्द जो उपभोक्ता द्वारा समझे नहीं जा सकते, प्रयोग न किए जाएं । संघटकों की सूची उत्पाद के भाग के रूप में या उसके अतिरिक्त होगी ।

(छ) जब कोई कृत्रिम सुवासकारी प्रयोग करने के लिए अभिज्ञात किया गया है यह तथ्य लेबल पर सुस्पष्टतः अक्षरों में और उत्पाद के नाम "कृत्रिम रूप से सुवासित" के क्रम में होना चाहिए । संघटक विवरण "कृत्रिम रूप से सुवासित" के रूप में परिलक्षित होना चाहिए ।

(ज) ऐसे शब्द, जो ऐसे परिक्षेत्र से भिन्न परिक्षेत्र के बारे में जिनमें या तो कारखाना स्थित है या उत्पाद का विनिर्माण किया जाता है, कुछ भौगोलिक महत्व रखते हैं, लेबल पर तभी प्रतीत होंगे जब वे, यथास्थिति "अभिनाम", "छाप" या "प्रकार" शब्दों द्वारा विशेषित किए गए हों ।

(झ) प्रत्येक व्यापार नाम अनुज्ञापन प्राधिकारी से पहले ही अनुमोदित करा लेना होगा । कोई भी ऐसा विवरण शब्द, पिक्चर या डिजाइन जिससे उसके मूल या गुण के बारे में मिथ्या आभास होता हो या उसके मिथ्या होने का संकेत देता हो, लेबल पर नहीं होना चाहिए ।

11. किसी भी मांस खाद्य उत्पाद में नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कोई विषैला तत्व उसके स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक अन्तर्विष्ट नहीं होगा ।

सारणी

क्रम सं०	विषैले धातु का नाम	भाग प्रति दस लाख भार के अनुसार
1	2	3
1	सीसा	2.5
2	तांबा	20
3	आर्सेनिक	2.0
4	टिन	250
5	जस्ता	50

[सं० फा० 18-38/65—एल डी टी]

वी० के० मल्लिक,
निदेशक (पशु पालन)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973